૨૫૧૭ ૫૧૨૮

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांकः 18–10–2018

File No RSM/3/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषय :- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को जवाहर नवोदय विद्यालय, ओढा, सिरसा हरियाणा के प्राचार्य के पति एवं कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित करने, पत्नी के साथ छेड़–छाड़ करने के मामले में पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई न करने के संबंध में – श्री राधेश्याम मीना (कला अध्यापक) ग्राम/पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक (राजस्थान) का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण मे उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>30–10–2018 को 15.00 बजे</u> सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी सगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24615012

O/C

Received by R.S. Meena
19/10/18

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
जिला–सिरसा,
(हरियाणा)

8852
22/10/18
जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि प्रेषितः

श्री राधेश्याम मीना,
ग्राम/पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा,
जिला टोंक (राजस्थान)